एक नजर में

कल खाद बीज की दुकानें रहेगी बंद रहेगी

बैतूल। देश के समस्त खाद बीज एवं कीटनाशक व्यापारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। कृषि आदान विक्रेता संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि कल 27 अप्रैल को देश के समस्त खाद बीज एवं कीटनाशक व्यापारी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। कोषाध्यक्ष निलेश खंडेलवाल ने बताया कि जिले के सभी खाद बीज एवं कीटनाशक व्यापारी हड़ताल के साथ ही केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा के नाम से कलेक्टर बैतूल को सुबह 11 बजे अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे और जिले में दुकानें बंद रहेगी। सचिव चंद्र किशोर प्रजापति ने सभी से उपस्थित रहने की अपील की है।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज 26 अप्रैल को

बैतूल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना 2026 के अंतर्गत जनपद पंचायत बैतूल के तत्वावधान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 26 अप्रैल को प्रातः 11 बजे पुलिस ग्राउंड बैतूल में किया जाएगा। कार्यक्रम में वर-वधू एक साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके एवं मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल उपस्थिति प्रस्तावित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष व विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल एवं विधायक आमला योगेश पंडाग्रे करेंगे। विशेष अतिथियों में विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उइके, विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार, जनपद अध्यक्ष श्रीमती इमलाबाई जावलकर, नगरपालिका अध्यक्ष पार्वतीबाई बारस्कर, नगर परिषद बैतूल बाजार अध्यक्ष दुर्गावती वर्मा, जनपद पंचायत आठनेर अध्यक्ष रोशनी उईके, नगर परिषद आठनेर अध्यक्ष सुषमा मनोज जगताप, जनपद पंचायत आमला अध्यक्ष गणेश यादव, नगर पालिका आमला अध्यक्ष नितिन गाडरे सहित जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय निकायों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

बालिका दस्तयाब, आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने 12 घंटे में अपहृत बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल को बालिका के परिजनों द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। थाना कोतवाली से विशेष टीम गठित कर संभावित स्थानों पर सतत दबिश दी गई एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत बालिका को 12 घंटे के भीतर सकुशल दस्तयाब किया गया। पुलिस द्वारा बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी रितेश पिता किशोरी धुर्वे (20) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त कार्रवाही में उप निरीक्षक राकेश सरयाम, उप निरीक्षक चित्रा कुमरे, सहायक उप निरीक्षक प्रवीण पचोरी, प्रधान आरक्षक नानकराम, आरक्षक ओंकार एवं आरक्षक रोहित सराहनीय भूमिका रही।

ट्रेलर से टकराए कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर की मौत

मौदा, (सं.). नागपुर-भंडारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर परमात्मा आश्रम के पास शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर चालक की जलकर मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा 24 अप्रैल को रात करीब 10 बजे हुआ.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेलर (एनएल01एएच0069) हाईवे पर ढाबा तलाशते हुए धीमी

क्लीनर गंभीर घायल, नागपुर-भंडारा हाईवे पर भीषण हादसा

गति से चल रहा था. इसी दौरान नागपुर से भंडारा की ओर जा रहा तेज रफ्तार कंटेनर (एमएच40सीएम1656) पीछे से ट्रेलर से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर की केबिन में आग लग गई. इस हादसे में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी कंटेनर चालक संजय कुमार सूर्यबली बिंद (30) की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि क्लीनर सुजीत गोरख बिंद (26) गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मौदा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्गे के मार्गदर्शन में मामले की जांच जारी है.

बचाने की कोशिश नाकाम

हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कंटेनर के केबिन में फंसे चालक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका.

हिट एंड रन का शिकार हुई वृद्ध महिला, टक्कर मारकर भागा कार चालक

नागपुर. सीताबर्डी थाना क्षेत्र के चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के पास बारलिंगे चौक पर शनिवार की सुबह एक कार चालक ने कोहराम मचाया. तेज रफ्तार कार से एक वृद्ध महिला को टक्कर मारकर भाग निकला. इस हादसे में 72 वर्षीय योग शिक्षिका की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी. मृतका हंसध्वनि अपार्टमेंट, खरे टाउन धरमपेठ निवासी मंगला रामदासपंत केवटे बताई गईं. मंगला योग शिक्षिका थीं और रोज की तरह शनिवार सुबह घर से पास के इलाके में योग सिखाने के लिए पैदल निकली थीं. इसी दौरान अजीत बेकरी की ओर से आ रही सी.जी.07-डी.सी.8616 नंबर की कार के चालक ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मंगला हवा में उड़कर नीचे गिरीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही सीताबर्डी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेज दिया.

भागते समय 2 और लोगों को मारी टक्कर: बताया जा रहा है कि मंगला को टक्कर मारने के बाद आरोपी कार चालक ने भागने के चक्कर में भोले पेट्रोल पंप के पास एक और दोपहिया वाहन को भी टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ लगी थी. इसी दौरान मृतक मंगला के बेटे लोचन केवटे वहां से गुजर रहे थे. भीड़ देखकर वह भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां को खून से लथपथ सड़क पर पड़ा देखा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. बेटे लोचन की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी.

आपराधिक मामला दर्ज करना दबाव बनाने की रणनीति

डॉक्टर के खिलाफ दायर एफआईआर हाई कोर्ट ने की रद्द

नागपुर. शिकायतकर्ता समीर सावलाखे और उनके साथियों (सचिन मडके, वरुण कुमार और दीपक सिंह) ने डॉ. चौबे के अस्पताल में एक फार्मेसी (मेडिकल स्टोर) शुरू करने के लिए 21 जून 2019 को एक व्यावसायिक एग्रीमेंट किया था. इस समझौते के तहत शिकायतकर्ताओं ने 5 करोड़ रुपये का डिपॉजिट दिया था और तय हुआ था कि फार्मेसी की शुद्ध बिक्री (नेट सेल) का 18ब हिस्सा डॉ. चौबे को प्रति माह दिया जाएगा. शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि डॉ. चौबे ने समझौते के विपरीत अस्पताल परिसर में एक और (समानांतर) फार्मेसी शुरू कर दी जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ और बिक्री का वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका जिसका वादा किया गया था. इस मामले को लेकर दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश वृषाली जोशी ने एफआईआर रद्द करने के आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधि. सुनील मनोहर, अधि. आदिल मिर्जी, अधि. मसूद शरीफ और राज्य सरकार की ओर से अधि. केआर लूले ने पैरवी की.

लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं

हाई कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि विशुद्ध रूप से दीवानी (सिविल) और व्यावसायिक (कमर्शियल) विवादों को आपराधिक मामलों का रूप नहीं दिया जा सकता. अदालत ने यह अहम टिप्पणी करते हुए एशियन किडनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉ. समीर चौबे के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420), आपराधिक विश्वासघात (धारा 406) और आपराधिक धमकी (धारा 506) के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. डॉ. चौबे की ओर से अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2022 से लाइसेंस शुल्क (18ब हिस्सा) का भुगतान नहीं किया था और अस्पताल की मांग के अनुसार फार्मेसी को 24/7 खुला रखने की अहम शर्त का भी उल्लंघन किया. इसके चलते डॉ. चौबे ने कानूनी नोटिस भेजकर लीज रद्द कर दी और दुकान खाली कराने तथा बकाया किराये की वसूली के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जो वर्तमान में लंबित है.

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल: मामले में सबसे चौंकाने वाली बात पुलिस की भूमिका को लेकर सामने आई. अदालत ने पाया कि दीवानी मुकदमा लंबित होने के बीच, शिकायतकर्ता ने पुलिस का सहारा लिया. पहले सीताबर्डी पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच की और यह कहते हुए शिकायत बंद कर दी थी कि यह विवाद दीवानी प्रकृति का है और अदालत में लंबित है. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद शिकायतकर्ता के पार्टनर वरुण कुमार चौहान के माध्यम से उसी सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत दर्ज कराई गई और इस बार पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 और 506 के तहत डॉ. चौबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली.

एमआईडीसी -प्लॉट F-65 के आवंटन पर लगाई रोक

नागपुर. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा भूखंड आवंटन में कथित अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने एमआईडीसी को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई तक 2,500 वर्ग मीटर वाले विवादित भूखंड (प्लॉट नंबर स्र-65) का आवंटन किसी को न करे. याचिकाकर्ता की अधि. हर्निश गढिया ने पैरवी की. याचिकाकर्ता ने 18 जुलाई 2024 को %प्राथमिकता श्रेणी% के तहत अपने उद्योग के विस्तार के लिए भूखंड आवंटन का आवेदन किया था.

याचिकाकर्ता के पास पहले से ही 29,750 वर्गमीटर का एक निर्माण उद्योग है और उन्हें इसके विस्तार के लिए इस छोटे प्लॉट (स्र-65) की आवश्यकता है.

सुनवाई के बिना आवेदन खारिज

याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि गत समय एमआईडीसी के एनएमएएस पोर्टल पर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए ही उनका आवेदन अचानक खारिज कर दिया था. इसके बाद, अदालत ने एमआईडीसी को निर्देश दिया था कि वह उस अस्वीकृति वाले ईमेल को नजरअंदाज करे और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर नया आदेश पारित करे. इसके बावजूद एमआईडीसी ने केवल यह आदेश दिया कि याचिकाकर्ता पोर्टल पर दोबारा आवेदन करे. एमआईडीसी के इस रवैये के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अदालत में अवमानना की याचिका दायर की थी.

क्रमानुसार आवंटन के नियमों की उड़ीं धज्जियां

सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में यह बात लाई गई कि एमआईडीसी भूमि नियमों के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उनकी एक क्रमानुसार और वरिष्ठता के आधार पर सूची बनानी होती है. नियम के मुताबिक, सबसे पुराने लंबित आवेदनों का निपटारा सबसे पहले किया जाना चाहिए. यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी, ताकि एमआईडीसी अपनी मनमर्जी या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर आवेदनों का फैसला न कर सके. याचिकाकर्ता ने अदालत में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आवेदन से पहले और बाद में विस्तार के लिए किए गए अन्य आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है लेकिन उनके मामले में नियमों की अनदेखी की जा रही है.

पंजाब नेशनल बैंक के पास लगी आग फायर कर्मियों ने बुझाई

मुलताई। नगर मे नागपुर रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के समीप शनिवार की दोपहर बैंक की दीवार के पास पड़े कचरे के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। नही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी ।बताया जाता है पंजाब नेशनल बैंक एवं बिल्डिंग मटेरियल की दूकान के बीच निर्माणाधीन भवन मे कई दिनों से कचरा जमा हो रहा था। शनिवार की दोपहर अचानक कचरे में आग लग गई। तेज हवाओ के कारण आग की तेज लपटे उठने लगी और

बैंक की खिड़कियों और बिजली के तारों की ओर बढ़ने लगी। इसी दौरान क्षेत्र मे रहने वाले सलीम शेख ने आगजनी देखी और उन्होंने तुरंत नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को आगजनी की सूचना दी ।सूचना मिलते ही नपा की फायर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मनाया मलेरिया दिवस

शाहपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी शिव कुमार रघुवंशी एवं बीपीएम बलदेव नागले, बीईई अंबादास नागले, बीसीएम क्रांति यादव मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर सुबोध गढ़वाल एसटीएस प्रणय नायक बैठक में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मलेरिया से बचाव की जानकारी दी गई। विश्व मलेरिया दिवस पर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी शिव कुमार रघुवंशी ने कहा कि घर के आसपास मच्छर उत्पत्ति स्थलों को

नष्ट करें। मच्छरदानी लगाकर सोए। बुखार आने पर मलेरिया की जांच निकटम स्वास्थ्य केंद्र पर करवाए। ग्राम में आशा कार्यकर्ता से मलेरिया की जांच करवाए। स्वास्थ्य केंद्र में सिस्टर या निकटम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर मलेरिया की जांच करवाए। अन्य ऑथराइज्ड पर्सन से मलेरिया की जांच करवाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एमटीएस सुबोध गढ़वाल ने बताया कि ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ता निशुल्क मलेरिया की जांच एवं उपचार करती हैं।

ट्रेक्टर ट्राली को दुग्ध वाहन नें मारी टक्कर, एक की मौत

मुलताई। नेशनल हाईवे बैतूल नागपुर रोड पर शुक्रवार की रात करीब 10 बजे ग्राम चिचंडा बस स्टॉप क्र समीप टेक्टर ट्राली का टायर बदल रहे ट्रेक्टर को दूध वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे ट्रेक्टर ट्राली पलट गई। दुर्घटना मे एक व्यक्ति की मौत हो गई वही तीन लोग घायल हो. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों कों सरकारी अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना मे गंभीर घायल रामदेव पिता रामलाल उइके निवासी खेड़ीदेवनाला को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

बैतूल। विश्व मलेरिया दिवस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाडे द्वारा शनिवार को सीएमएचओ कार्यालय से हरी झण्डी देकर मलेरिया रथ को रवाना किया गया। सीएमएचओ डॉ हुरमाड़े ने बताया कि मलेरिया एक संक्रामक रोग है, जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया 5 प्रकार का होता है। बैतूल जिले में प्रमुखत: 2 प्रकार का मलेरिया पाया जाता हैं, पहला है प्लाजमोडियम वाइवेक्स मलेरिया और दूसरा प्जाजमोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया। मलेरिया के सामान्य लक्षण हैं, तेज बुखार, सर दर्द, ठंड लगना, कंपकंपी आना, पसीना आना, लेकिन गंभीर स्थिति में उल्टी होना, डायरिया तथा मरीज कोमा में भी जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। अत: मरीज को गंभीर स्थिति में जाने से बचाने के लिए अविलंब खून की जांच तथा मलेरिया पाए जाने पर तुरंत उपचार देना आवश्यक है। उपचार से तात्पर्य पूर्ण उपचार से है, वाइवैक्स मलेरिया में 14 दिनों तक उपचार दिया जाता है एवं फेल्सीपेरम मलेरिया में 3 दिनों तक उपचार दिया जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर काट ले और यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो मलेरिया फैल सकता है। मच्छर के काटने से लक्षण प्रकट होने के बीच के समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं तथा यह 9 से 14 दिनों तक का होता है। मलेरिया से लीवर, लाल रक्त कोशिकाएं तथा गंभीर स्थिति में किडनी एवं दिमाग भी प्रभावित होते हैं। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ प्रांजल उपाध्याय, जिला मलेरिया अधिकारी जितेन्द्र सिंह राजपूत, डीपीएम डॉ विनोद शाक्य, सीएमएचओ कार्यालय का स्टाफ, मलेरिया कार्यालय का स्टाफ, बैतूल शहरी स्टाफ आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रेनबो हायर सेकेंडरी स्कूल में समर कैंप्स प्रारंभ

नवभारत न्यूज

पांढुर्णा, नगर के रेनबो हायर सेकेंडरी स्कूल में समर कैंप्स 2026 अंतर्गत ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शाला के चीफ एज्युकेशनिस्ट अविनाश चापले एवं अकादमिक हेड अल्पेश शाह द्वारा फीता काटकर किया गया ।कार्यक्रम संयोजिका कमल बारंगे ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विविध गतिविधियों से जोड़कर उनकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाना तथा

उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है। शिक्षिका नलिनी राउत ने शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों का स्वागत किया।

शिविर के प्रथम दिन विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें जूडो-कराटे, फोनिक्स, अबेकस, हैंडराइटिंग, योगा, साइंस एवं आर्ट वर्कशॉप प्रमुख रहे। विशेष बात यह है कि इस शिविर में विद्यालय के साथ-साथ नगर के अन्य स्कूलों के विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने हेतु निलेश लोखंडे, प्रियंका लोखंडे, संदीप उइके, तेजस्विनी डोंगरे, सीमा चोपड़े, रिया वर्मा जैसे विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे शिविर और अधिक प्रभावी बन रहा है। इस अवसर पर शाला प्रबंधन के अनिल वानोड़े, राम नंदेवार, प्राचार्य अमोल नंदेवार, कोऑर्डिनेटर रत्नमाला अवचितकर सहित स्टाफ के सोनाली देशमुख, रोशनी चरडे, त्रिवेणी वंजारी, रितु पांडे, मनीषा सिंह, वंदनीय देशमुख, मयूरी वानखेड़े आदि उपस्थित रहे।

हाई कोर्ट ने मनपा के फैसले को ठहराया सही

सड़क मरम्मत टेंडर - ठेकेदार की याचिका खारिज की

नागपुर. अमरावती महानगरपालिका की ओर से शहर के जोन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में गड्ढों की मरम्मत, सीसी रोड और डब्ल्यूबीएम रोड के रखरखाव के लिए जारी ई-टेंडर से जुड़ा है. लगभग 1.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस कार्य के लिए अमरावती के पंजीकृत ठेकेदार याचिकाकर्ता मेसर्स जीएच खंडेलवाल ने अपनी बोली जमा की थी. तकनीकी मूल्यांकन के दौरान महानगरपालिका ने याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, जबकि प्रतिवादी इदरिस जुझर इज्जुद्दीन सैफी की बोली को योग्य मानते हुए उनके पक्ष में वित्तीय बोली खोल दी गई. याचिका पर सुनवाई के बाद

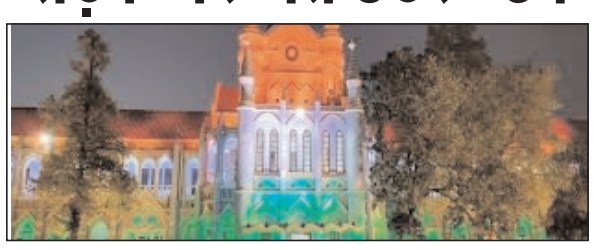

न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने ठेकेदार की याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जायसवाल, अधि. राधिका जायसवाल और मनपा की ओर से अधि. जैमिनी कासट ने पैरवी की.

टेंडर प्रक्रिया में मिलीभगत का आरोप

फैसले में स्पष्ट किया कि टेंडर की शर्तों की व्याख्या करने का सबसे अच्छा अधिकार उसे जारी करने वाले प्राधिकरण के पास ही होता है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप तभी किया जाना चाहिए जब निर्णय मनमाना हो. याचिकाकर्ता ने मनपा के निर्णय को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में मिलीभगत हुई है. उनका कहना था कि प्रतिवादी क्रमशः बेटे और पिता ने एक ही बुनियादी ढांचे और मशीनरी का उपयोग करते हुए अलग-अलग बोलियां लगाईं जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है. इसके अलावा, सबसे बड़ा विवाद निविदा की %खंड 3(ज)% (ष्टद्यड्डह्वह्यद्व 3(ज)) शर्त पर था जिसमें पिछले 3 वर्षों में 1 करोड़ रुपये के समान कार्य का अनुभव मांगा गया था. याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्होंने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये से अधिक का काम किया है, जबकि महानगरपालिका की पैरवी कर रहे अधि. कासट ने कहा कि यह 1 करोड़ रुपये का कार्य संचयी रूप से नहीं बल्कि किसी 'एक ही वित्तीय वर्ष' में पूरा होना चाहिए था.

तकनीकी बोली में कमी

अधि. कासट ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 1 करोड़ रुपये के अनुभव को साबित करने के लिए छोटी-छोटी राशियों के कई कार्य आदेशों को एक साथ मिला दिया था जिसकी अनुमति टेंडर में नहीं थी. मनपा ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीकी बोली में कमी पाए जाने के बाद 10 दिसंबर 2025 को याचिकाकर्ता को दस्तावेज सुधारने का मौका दिया गया था लेकिन उनके द्वारा बाद में जमा किए गए दस्तावेजों में पूर्णता और स्पष्टता का अभाव था. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया.

अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम से एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है ।टीआई नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया बीते 27 नवंबर 2025 को फरियादी द्वारा थाना मुलताई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना मुलताई में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज विवेचना की गई। विवेचना के दौरान नाबालिग बालिका एवं आरोपी की तलाश हेतु विशेष टीम गठित की गई। संभावित स्थानों पर लगातार दबिश देते हुए मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से तलाश की गई। पुलिस द्वारा वरिष्ठ

अधिकारियो के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर 24 अप्रैल 2026 को नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। बालिका के कथनों के आधार पर आरोपी सागर पिता शेषराव खपरिये, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम लाखापुर थाना मुलताई का नाम प्रकाश में आया, जिसने बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया एवं उसके साथ दुष्कर्म किया।आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए गए। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम लाखापुर में दबिश देकर आरोपी को 24 अप्रैल 26 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र सिंह परिहार, उपनिरीक्षक सुनील सरेयाम एवं सैनिक ज्वालासिंह की सराहनीय भूमिका रही।